

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत)

1. District (जिला): जयपुर सिटी (पूर्व) P.S. (थाना): मालपुरा गेट Year (वर्ष): 2022

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0004 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 01/01/2022 19:55 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भा दं सं 1860	406
2	भा दं सं 1860	420
3	भा दं सं 1860	506

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): शुक्रवार Date From (दिनांक से): 27/08/2021 Date To (दिनांक तक): 27/08/2021
Time Period (समय अवधि): पहर 1 Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 01/01/2022 Time (समय): 19:55 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 040 Date & Time (दिनांक एवं समय) 01/01/2022 19:55:00 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): उत्तर - पश्चिम, 3 किमी Beat No. (बीट सं.):

(b)Address(पता): nagar nigam road, SANGANER

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): HANUMAN KUMAVAT
(b) Father's Name (पिता का नाम): SITARAM KUMAVAT

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 2004 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	37, JADOUN NAGAR, KALI KA KHANA, SAPOLA KI DHANI, SANGANER, मालपुरा गेट, जयपुर सिटी (पूर्व), राजस्थान, भारत
2	स्थायी पता	37, JADOUN NAGAR, KALI KA KHANA, SAPOLA KI DHANI, SANGANER, मालपुरा गेट, जयपुर सिटी (पूर्व), राजस्थान, भारत

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): 91-6376012069

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SANWAR SHAIKH		पिता:KASAM KHAN	1. KARNI MATA KA MANDIR, DUDU,जयपुर ग्रामीण,राजस्थान,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
-----------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

10. Total value of property stolen(In Rs/-)

(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

न्यायालय अपर मुख्य महानगर मेजिस्ट्रेट क्रम 17 जयपुर महानगर प्रथम, सांगानेर परिवाद पत्र संख्या 2021 हनुमान कुमावत पुत्र श्री सीताराम कुमावत निवासी प्लॉट संख्या 137, जादौन नगर, काली का खाना, छापोलो की दाणी, सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान | परिवादी बनाम शनवर शेख पुत्र श्री कासम खान जाति मुसलमान निवासी करणी माता का मन्दिर, दूद, जिला जयपुर, राजस्थान अभियुक्त परिवाद पत्र अन्तर्गत पारा 190 जाप्ता फौजदारी अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 506 आईपीसी पुलिस वाला मालपुरा गेट, जयपुर पूर्व मान्यवर, परिवादी की ओर से परिवाद पत्र निम्न प्रकार सविनय प्रस्तुत है कि 1.यह कि परिवादी उपरोक्त वर्णित पते पर अपने परिवार सहित निवास करता है। 2. यह कि परिवादी के स्वामित्व व आधिपत्य का एक चाहन मारुती ओमीनी, जिसके रजिस्ट्रेशन नं. आरजे14 यूई 6912 मॉडल, 2016 है को अभियुक्त ने परिवादी से उक्त वाहन दिनांक 27 अगस्त 2021 को 50,000/- रुपये नगद एवं बकाया फाइनेंस की 26 किस्तों संबंधित बैंक में जमा करवाने की एवज में खरीद किया था जिसके सम्बन्ध में परिवादी व अभियुक्त के अध्यक्ष दिनांक 27.08.2021 को नगर निगम रोड, सांगानेर, जिला जयपुर में विक्रय इकरारनामा निष्पादित किया गया था, जो की नोटरी पब्लिक से तस्दीक करवाया गया। 3. यह कि विक्रय इकरारनामा निष्पादन के समय अभियुक्त द्वारा परिवादी को 20,000/- रुपये नगद तथा शेष 30,000/- रुपये जरिये चैक संख्या 000005 दिनांक 31.08.2021 बैंक एचडीएफसी बैंक शाखा दूद जयपुर का देते हुए आश्वासन दिया कि उक्त चैक को बैंक में प्रस्तुत करने पर आवश्यक रूप से परिवादी को भुगतान प्राप्त हो जायेगा, परिवादी द्वारा वरवक्त विक्रय इकरारनामा अभियुक्त को उक्त वाहन व असल आरसी सुपुर्द कर दिया। 4. यह कि जिसके उपरान्त परिवादी द्वारा अभियुक्त द्वारा दिये गये बैंक को निर्धारित अवधि में बैंक में प्रस्तुत करने पर उक्त चैक बैंक द्वारा अभियुक्त के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण अनादरित कर दिया, जिसके बारे में परिवादी द्वारा अभियुक्त से अपने वाहन की बकाया राशि की मांग की गई तो अभियुक्त परिवादी को खेलमटोल करता रहा। 5. यह कि परिवादी ने अभियुक्त को उक्त वाहन की बकाया राशि अदा करने का कई बार निवेदन कर चुका हूँ लेकिन अभियुक्त हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर परिवादी को यल देता, हाल ही में परिवादी को जानकारी में आया है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी के उक्त वाहन को औतिक एवं अवैध व्यापार में उपयोग किया जा रहा है। 6. यह कि जब परिवादी को इस बारे में जानकारी हुई तो परिवादी द्वारा दिनांक 10.12.2021 को अभियुक्त से सम्पर्क कर उक्त वाहन की बकाया राशि की मांग की गई, जिस पर अभियुक्त ने परिवादी के साथ गाली गलौच करते हुए परिवादी को धमकी दी कि मेरे पास कोई ये नहीं हैं मैं तुझे बाकी के रुपये नहीं दूंगा, तुने मुझे बार-बार फोन किया तो तुझे झूठे केस में जेल में बन्द करवा दूंगा, मेरी ऊपर तक पहुंच है, तेरी मर्जी हो जो कर लेना, तु मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 7.यह कि परिवादी को पूर्ण अंदेशा हो गया है कि अभियुक्त परिवादी के उक्त वाहन की बकाया राशि हड़प करना चाहता है तथा अभियुक्त परिवादी के उक्त वाहन को अनैतिक एवं अवैध व्यापार में उपयोग कर रहा है, इस प्रकार अभियुक्त द्वारा स्वयं को सदोष लाभ एवं परिवादी को सदोष हानि कारित की है। 8. यह कि अभियुक्त द्वारा परिवादी के साथ कारित किये गये अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवाने दिनांक 14.12.2021 पुलिस थाना मालपुरा गेट, जयपुर पूर्व जयपुर गया, लेकिन पुलिस थाना मालपुरा गेट, जयपुर पूर्व द्वारा परिवादी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और परिवादी को कोर्ट से आदेश लाने पर ही रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही करने की कहते हुए थाने से वापस भेज दिया। 9. यह कि पुलिस थाना मालपुरा गेट द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करने पर परिवादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 15.12.2021 को प्रार्थना पत्र पुलिस थाना मालपुरा गेट व श्रीमान् पुलिस उपायुक्त जयपुर पूर्व जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, लेकिन आज दिनांक तक ना तो परिवादिया की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई और ना ही अभियुक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई। इस कारण उक्त परिवाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। 10. यह कि अभियुक्त द्वारा परिवादिया के साथ कारित किया गया आपराधिक कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 506 आईपीसी की श्रेणी में आता है। 11. यह कि परिवादी व अभियुक्त के मध्य उक्त वाहन का खरीद वैचान नगर निगम रोड, सांगानेर जिला जयपुर में किया गया जो कि पुलिस थाना मालपुरा गेट की सीमाओं में स्थित होनेकारण उक्त परिवाद पत्र माननीय न्यायालय को सुनने व निर्णित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। 12. यह कि परिवाद पत्र उचित न्यायशुल्क माननीय न्यायालय के समक्ष पर प्रस्तुत है। 13. यह कि परिवाद पत्र अन्दर मियाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हैं। 14.यह कि अन्य तथ्य वरवक्त बहस मौखिक अर्ज किये जायेंगे। अतः परिवादी की ओर से

परिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि परिवादी का परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 156 (3) द.प्र.स. के तहत पुलिस थाना मालपुरा गेट जयपुर पूर्व जयपुर को प्रेषित कर एस.एच.ओ. याना मालपुरा गेट जयपुर पूर्व जयपुर को अभियुक्त द्वारा कारित किये गये अपराध की रिपोर्ट दर्ज कर नतीजा अनुसंधान से माननीय न्यायालय को अविलम्ब अवगत करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। सांगानेर परिवारिया दिनांक 16/12/2001 हनुमान कुमावतकार्यवाही पुलिसप्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त इस्तगासा परिवार श्री हनुमान कुमावत पुत्र श्री सीताराम कुमावत निवासी प्लॉट नं० 37 जादौन नगर, काली का खाना, छापोलो की ढाणी सांगानेर जिला जयपुर का जरिये डाक न्यायालय ACMM क्रम संख्या 17 सांगानेर जयपुर प्रथम से प्राप्त हुआ। अवलोकन से मामला अपराध धारा 406,420,506 IPCका वकू मे आना पाया जाने पर धारा उपरोक्त में मुकदमा दर्ज कर वास्ते अनुसंधान श्रीमति पुष्पा उपनिरीक्षक के जिम्मे किया गया। नकल अक्षर स अक्षर कम्प्युटर CCTNS मे कि गयी। प्रतिया FIR नियमानुसार जारी की गयी। मु० नं० CCTNS द्वारा जारी होने पर पृथक से अंकित किया जावेगा।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): Pushpa meena Rank उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): (पद):

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Anita meena

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	2004				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)